कार्यवृत्त

सोमवार, 03 चैत्र, शक संवत्, 1939

(दिनांक : 27 मार्च, 2017)

खण्ड–47
अंक–2

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही विपक्ष के माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह नियम–310 के अन्तर्गत दी गई अवैध खनन संबंधी सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे। नेता प्रतिपक्ष ने उक्त सूचना पर प्राथमिकता के आधार पर चर्चा कराये जाने की मांग की। विपक्ष के सभी सदस्य ''वेल'' में आकर उक्त सूचना लिये जाने एवं जोर–जोर से सूचना पर चर्चा की मांग करने लगे जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस विषय की गंभीरता को देखते हुए इस पर वक्तव्य दे देगी। परन्तु विपक्ष के सभी सदस्य जोर–जोर से अपनी बात कहते रहे जिस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे इस सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राहयता पर सुन लेंगे ।

प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिए गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 11 सूचनाएं प्राप्त हुईं हैं। जिनमें निम्नांकित 07 स्वीकृत सूचनाओं में से 04 सूचनाएं पढ़ी गईं एवं 02 सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं:–

1. श्री राजकुमार	जनपद उत्तरकाशी के राजकीय बालिका इन्टर कालेज पुरोला के अन्यत्र स्थान में व्यवस्था में तैनात भौतिक विज्ञान विषय के दोनों प्रवक्ताओं को मूल स्थान में तैनात किये जाने अथवा स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में।
2. श्री खजानदास	उत्तराखण्ड प्रदेश की मलिन बस्तियों का नियमितिकरण किये जाने के संबंध में।
3. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र स्याल्दे में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य लम्बे समय से न किये जाने से जनता में व्याप्त असन्तोष के संबंध में।
4. श्री विशन सिंह **(पढ़ी हुई मानी गयी)**	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत स्वीकृत लिफ्ट पेयजल योजना का पैसा न मिलने के कारण आधे निर्माण में कार्य बन्द होने से जनता में व्यापत आक्रोश के संबंध में।

5. श्री देशराज कर्णवाल	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा में औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय निवासियों को उद्योगों में 70 प्रतिशत आरक्षण न दिये जाने से उत्पन्न रोष के संबंध में।
6. श्री हरबन्स कपूर	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र कैन्ट के बीचों–बीच बहने वाली बिंदाल नदी में वर्षो से सफाई और चुगान न होने से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के संबंध में।
7. श्री पूरन सिंह फर्त्याल **(पढ़ी हुई मानी गयी)**	विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में पानी की समस्या के निवारण हेतु लोहाघाट–सरयू लिफ्ट पेयजल योजना के निर्माण के संबंध में।

सहकारिता मंत्री ने उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2016 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–243 झ खण्ड (4) एवं अनुच्छेद 243–म (2) के अधीन चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों) (2016–2021) के प्रतिवेदन, आयोग की संस्तुतियों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के स्पष्टीकारक ज्ञापन को सदन के पटल पर रखा।

श्री अध्यक्ष ने माननीय राज्यपाल से प्राप्त निम्नलिखित संदेश उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली 2005 के नियम–152 (1) के अन्तर्गत पढ़कर सुनायाः–

उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (संशोधन) विधेयक, 2016 जो उत्तराखण्ड विधान सभा से पारित कर राज्यपाल, उत्तराखण्ड की अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है इस विषय में पारित मूल प्रस्तावित अधिनियम का विवरण व उसका परिणामी विवेचन निम्नानुसार हैः–

1. विधेयक की धारा–2 के द्वारा जिस नयी धारा 6 क (1) व 6 क (3) को अन्तःस्थापित करने का प्राविधान है, इन प्राविधानों में ''जिले के पुलिस अधीक्षक'' शब्दावली को हटाकर ''सक्षम प्राधिकारी'' के द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने हेतु पुनर्विचार किया जाय।

   अतः मै ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए इस विधेयक को राज्य विधान सभा में पुनर्विचार हेतु प्रत्यावर्तित कर रहा हूं।

सचिव, विधान सभा ने गुरू राम राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 को उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 152 (2) के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक को सदन के पटल पर रखा।

सचिव, विधान सभा ने क्वांटम विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 को उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 152 (2) के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक को सदन के पटल पर रखा।

सचिव, विधान सभा ने उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (संशोधन), विधेयक, 2016 को उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 152 (2) के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक को सदन के पटल पर रखा।

सचिव, विधान सभा ने घोषित किया किः–

(1) विनियोग (2016–2017 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का बाईसवां अधिनियम बन गया।

(2) उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध विधेयक 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का तेइसवां अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

(4) उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

(5) उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।

(6) उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का सत्ताईसवां अधिनियम बन गया।

(7) उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का अठ्ठाईसवां अधिनियम बन गया।

(8) उत्तराखण्ड राज्य किसान आयोग विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का उनतीसवां अधिनियम बन गया।

(9) उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का तीसवां अधिनियम बन गया।

(10)उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का इक्तीसवां अधिनियम बन गया।

(11)उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का बत्तीसवां अधिनियम बन गया।

(12)हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का तैतीसवां अधिनियम बन गया।

(13)उत्तराखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का चौंतीसवां अधिनियम बन गया।

(14)रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय विधेयक 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का पैंतीसवां अधिनियम बन गया।

(15)उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का छत्तीसवां अधिनियम बन गया।

(16)उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का सैतीसवां अधिनियम बन गया।

(17)उत्तराखण्ड साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का अड़तीसवां अधिनियम बन गया।

(18)भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का उन्चालीसवां अधिनियम बन गया।

(19)उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का चालीसवां अधिनियम बन गया।

(20)उत्तराखण्ड सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतम परिसीमा विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का इक्चालीसवां अधिनियम बन गया।

जनपद नैनीताल के कोसी नदी के ज्वाला वन क्षेत्र में दिनांक 24 मार्च, 2017 को अवैध खनन रोकने गए बीट वाचर श्री पहलवान सिंह पुत्र श्री मान सिंह, निवासी ग्राम–कैड़ा, बनाखेड़ा (बाजपुर) की खनन माफियाओं द्वारा हत्या कर दिये जाने संबंधी नियम– 310 की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती इन्दिरा हृदयेश, श्री प्रीतम सिंह, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, श्री करन माहरा, श्री हरीश धामी, श्री आदेश सिंह चौहान तथा श्री मनोज रावत ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

श्री मुन्ना सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गयाः–

''यह सदन माननीय राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2017 को दिए गए अभिभाषण के लिये कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा ने उक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 01 बजकर 17 मिनट पर 3:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इन्दिरा हृदयेश के भाषण से पुनः आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लियाः–

श्री महेन्द्र भट्ट,

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,

(समयः अपराह्न 04:00 बजे)

वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2017–2018 के एक भाग के लिये लेखानुदान प्रस्तुत किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित किया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा माननीय सदस्य श्री केदार सिंह रावत के भाषण से पुनः आरम्भ हुई।

निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लियाः–

श्री रघुनाथ सिंह चौहान,

श्री राजकुमार,

श्री विनोद चमोली,

श्री प्रीतम सिंह,

श्री सौरभ बहुगुणा,

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत 05 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इनमें से–

''विधान सभा क्षेत्र के जनपद चमोली के जोशीमठ नगर के नीचे बसे गॉव सेमा में लगातार हो रहे भूस्खलन की रोकथाम के लिए तत्काल उपाय किये जाने के संबंध में'' श्री महेन्द्र भटट् की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया है तथा

'' विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर के अन्तर्गत वार्ड नम्बर 16 आदर्श इन्दिरा बंगाली कालोनी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रारम्भ करने के संबंध में'' श्री राजकुमार की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

सदन की कार्यवाही अपराह्न 05:00 बजे अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुईं।

जगदीश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेमचन्द अग्रवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।